

11. क्या आवेदित भूमि अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार / बन्दोखस्त / लीज भूमि के अन्तर्गत पड़ता है ? नहीं

12. क्या आवेदित भूमि वासीगत / भूदान / सिकमी भूमि के अन्तर्गत पड़ता है ? नहीं

13. हल्का कर्मचारी का मन्तव्य - अ० अधि०/अ० नि०
महाशय, आवेदित भूमि आवेदक के जमाबन्दी रीयत के पुत्र
गुंज बिहारी महतो एवं हरेन्द्र नाथ महतो से दलिल संख्या 1268 दिनांक 3/8/22
के माध्यम से क्रय किए हैं। उक्त भूमि CONTACT की धारा 46(ख) के अन्तर्गत
आती है। विक्रेता द्वारा विक्रय वाद सं० 25(B.C)/2021-22, भूमि सुधार उपसमाहता
का न्यायालय धादिशिला, के माध्यम से पूर्वाज्ञाति प्राप्त की गई है। 1964 से
व्यतिरिक्त के अनुसार किस्म भूमि दोन तीन दर्जे है। स्थानीय जाय के क्रम में
उक्त भूमि सम्बन्धित किसी प्रकार आपत्ति प्राप्त नहीं हुई एवं आवेदक का शांतिपूर्ण
दखल कब्जा है। अतः नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है।

14. अंचल निरीक्षक का कार्यालय -

 

